संख्या–999 / XVIII(II)/2018–01(11)/2018

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रतूड़ी,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 22, जून, 2018

विषयः–जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश राज्य के अतिथियों के उपयोगार्थ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पक्ष में अतिथि गृह के निर्माण हेतु 0.401 है0, भूमि सःशुल्क आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड के जनपद, चमोली में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र दिनांक 11.01.2018 एवं 14.03.2018 में किये गये अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, चमोली के पत्र संख्या–4355 / छब्बीस / 16(2017–18)गोपेश्वर दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में दी गयी संस्तुति तथा श्री बद्रीनाथ धाम नगर पंचायत द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 24.04.2018 के क्रम में प्रस्तावित भूमि ख0ख0सं0–52 के खसरा संख्या–800 रकबा 49.752 है0 भूमि मध्ये 0.401 है0 भूमि, जो कि नॉन जैडए0 श्रेणी–9(3)ड. कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं जिसका बाजार मूल्य दर रू0 11,76,200.00 प्रति नाली है तथा मोटर मार्ग 12 मीटर से अधिक चौड़ा होने पर 10 प्रतिशत (अतिरिक्त) की दर से रू0 12,93,820.00 प्रति नाली (कुल 0.401 है0) अर्थात भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य 2,59,41,091.00 (रूपये दो करोड़ उनसठ लाख इक्तालीस हजार इक्यानवे रूपये मात्र) है, को शासनादेश सं0–258 / 16(1) / 73–राजस्व–1,दि0 09–05–1984, शासनादेश संख्या 1695 / 09–01–01–(60) / 93–280–रा0–1, दिनांक–12.09.1997 के सामान्य सिद्धान्त एवं (संशोधन) शासनादेश संख्या–1115 / XVII(II) / 2016–18(184) / 2015, दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित निम्न शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग (वाणिज्यिक) के पक्ष में सःशुल्क आवंटित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

(2) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

....2

(4) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी)संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

(6) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(7) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(8) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(9) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(10) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(11) संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव (प्रभारी)।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2– सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

....3

3— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6— निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7— प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कृष्ण सिंह)
संयुक्त सचिव।